गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 083
दि. 22.07.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बच्चों में साधारण संक्रमण भी बन रहे चुनौती, तेजी से बेअसर हो रहीं एंटीबायोटिक दवाएं; वैश्विक शोध ने बढ़ाई चिंता

सिडनी। दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। जिन एंटीबायोटिक दवाओं पर वर्षों से सामान्य संक्रमणों के इलाज के लिए भरोसा किया जाता रहा है, वे अब तेजी से अपना असर खोती जा रही हैं। स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि गले के संक्रमण, निमोनिया, कान के संक्रमण, मूत्र संक्रमण और अन्य सामान्य बैक्टीरियल बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रह गई हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध और गलत इस्तेमाल पर तत्काल नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में साधारण संक्रमण भी बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं।

यह गंभीर निष्कर्ष मर्डोक चिल्ड्रेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में सामने आया है। इस अध्ययन के परिणाम प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका 'जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (JAMA)' में प्रकाशित किए गए हैं। शोध में भारत सहित दुनिया के 82 देशों के 1.06 लाख से अधिक बच्चों में पाए गए संक्रमणों के नमूनों का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने वर्ष 2004 से 2022 के बीच उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन कर यह पाया कि लगभग सभी क्षेत्रों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance-AMR) लगातार बढ़ा है और यह समस्या अब वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुकी है।

शोध के अनुसार, सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि अब केवल गंभीर संक्रमण ही नहीं, बल्कि सामान्य संक्रमणों में भी डॉक्टरों को उपचार के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जिन दवाओं से कुछ दिनों में संक्रमण नियंत्रित हो जाता था, अब वही दवाएं कई मामलों में बिल्कुल असर नहीं कर रही हैं। इसका कारण यह है कि संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया समय के साथ दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी बनते जा रहे हैं। यानी वे दवाओं के प्रभाव को निष्क्रिय करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं।

अध्ययन में विशेष रूप से एसिनेटोबैक्टर (Acinetobacter) और क्लेबसिएला (Klebsiella) जैसे खतरनाक बैक्टीरिया का उल्लेख किया गया है। ये बैक्टीरिया पहले से ही अस्पतालों में गंभीर संक्रमणों के लिए जिम्मेदार माने जाते रहे हैं, लेकिन अब इनमें सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली कई एंटीबायोटिक

दवाओं के प्रति भी प्रतिरोध विकसित हो गया है। परिणामस्वरूप उपचार लंबा, महंगा और अधिक जटिल होता जा रहा है।

शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो 2035 तक हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में एंटीबायोटिक दवाओं की वह श्रेणी भी अपना प्रभाव खो सकती है, जिन्हें अभी अंतिम विकल्प के रूप में सुरक्षित रखा गया है। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों के पास गंभीर संक्रमणों के इलाज के लिए बहुत सीमित विकल्प बचेंगे।

अध्ययन की सह-लेखिका और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की एसोसिएट प्रोफेसर पेनेलोप ब्रायंट ने कहा कि बच्चों में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस दुनिया भर के स्वास्थ्य तंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष लाखों बच्चे सेप्सिस, निमोनिया, रक्त संक्रमण और अन्य बैक्टीरियल संक्रमणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन बच्चों को लेकर एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर अपेक्षित स्तर का शोध नहीं किया गया। इसका एक कारण बच्चों पर दवाओं के परीक्षण को लेकर नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियां हैं, जबकि दूसरा कारण यह है कि बच्चों के लिए नई दवाओं का विकास दवा कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत कम लाभकारी माना जाता है। ब्रायंट ने बताया कि एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल दवाओं का अनावश्यक तथा गलत उपयोग इस संकट की सबसे बड़ी वजह है। जब मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेते हैं, निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले दवा बंद कर देते हैं या वायरल संक्रमण में भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तब बैक्टीरिया धीरे-धीरे अपने भीतर ऐसे आनुवंशिक परिवर्तन विकसित कर लेते हैं, जिससे दवाएं उन पर प्रभाव डालना बंद कर देती हैं। इसी प्रक्रिया को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) कहा जाता है।

भारत की स्थिति भी इस मामले में अत्यंत गंभीर बताई गई है। अध्ययन में सामने आया कि देश में बच्चों के इलाज में उपयोग होने वाली 'एक्सेस' श्रेणी की एंटीबायोटिक दवाओं के 82 प्रतिशत मामलों में प्रतिरोध दर्ज किया गया। यह श्रेणी सामान्य संक्रमणों के इलाज के लिए सबसे पहले उपयोग की जाती है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि 'वॉच' श्रेणी की दवाओं में प्रतिरोध लगभग 83 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। वहीं 'रिजर्व' श्रेणी, जिसे सबसे गंभीर और जटिल संक्रमणों के लिए अंतिम विकल्प माना जाता है, उसमें भी 83 प्रतिशत से अधिक प्रतिरोध पाया गया। इसका अर्थ है कि भविष्य में डॉक्टरों के पास प्रभावी उपचार के विकल्प लगातार सीमित होते जा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एंटीबायोटिक दवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी 'एक्सेस' है, जिसमें वे दवाएं शामिल हैं जिनका उपयोग गले के संक्रमण, त्वचा के संक्रमण या अन्य सामान्य बैक्टीरियल बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इन दवाओं का उपयोग अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है और इन्हें प्राथमिक उपचार के रूप में दिया जाता है।

दूसरी श्रेणी 'वॉच' है। इस वर्ग की दवाओं का उपयोग केवल अधिक गंभीर संक्रमणों में डॉक्टर की निगरानी में किया जाना चाहिए। यदि इनका अनावश्यक उपयोग किया जाए तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से इनके खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं।

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी 'रिजर्व' है। इसमें वे शक्तिशाली एंटीबायोटिक शामिल हैं जिन्हें केवल अत्यंत गंभीर, जानलेवा और बहु-दवा प्रतिरोधी संक्रमणों में अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि इन दवाओं के प्रति भी बैक्टीरिया प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं तो कई गंभीर संक्रमणों का इलाज लगभग असंभव हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध केवल अस्पतालों की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की चुनौती बन चुका है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा खरीदना, वायरल बुखार या सर्दी-जुकाम में भी एंटीबायोटिक का उपयोग, पशुपालन और कृषि क्षेत्र में एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग तथा दवाओं का अधूरा कोर्स इस संकट को लगातार बढ़ा रहे हैं।

बच्चों में यह समस्या इसलिए और गंभीर है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती। यदि सामान्य संक्रमणों का इलाज कठिन होने लगे, तो निमोनिया, रक्त संक्रमण, मेनिन्जाइटिस और सेप्सिस जैसी बीमारियों से मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने, महंगे उपचार और जटिल दवाओं की आवश्यकता भी परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकती है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनौती से निपटने के लिए केवल नई दवाएं विकसित करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए एंटीबायोटिक दवाओं के जिम्मेदार उपयोग की संस्कृति विकसित करनी होगी। डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, निर्धारित अवधि तक पूरा कोर्स करना चाहिए, वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण, स्वच्छता तथा हाथ धोने जैसी आदतों को बढ़ावा देना चाहिए।

शोधकर्ताओं ने सरकारों, स्वास्थ्य संस्थानों और दवा कंपनियों से बच्चों में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर अधिक निवेश और शोध करने की भी अपील की है। उनका कहना है कि यदि अभी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में साधारण संक्रमणों का इलाज भी चिकित्सा विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, एंटीबायोटिक दवाओं ने पिछले कई दशकों में लाखों लोगों की जान बचाई है, लेकिन उनका विवेकपूर्ण उपयोग ही उनकी प्रभावशीलता को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकता है। यदि समाज, चिकित्सक, सरकार और स्वास्थ्य संस्थान मिलकर इस दिशा में गंभीर प्रयास करें, तभी बच्चों को एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से सुरक्षित रखा जा सकेगा। यह केवल चिकित्सा विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा वैश्विक दायित्व है।

दौसा बस विस्फोट मामला: 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मौत की सजा रद्द; नए सिरे से चलेगा मुकदमा

नई दिल्ली। लगभग तीन दशक पुराने और राजस्थान के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल दौसा बस विस्फोट कांड में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए न्यायिक प्रक्रिया को नया मोड़ दे दिया है। शीर्ष अदालत ने मौत की सजा पाए दोषी अब्दुल हमीद की फांसी की सजा रद्द करते हुए उसके खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। वहीं, इस मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे पप्पू उर्फ सलीम को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील भी खारिज कर दी गई, जिसमें छह अन्य आरोपियों को पहले ही बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने करीब 30 वर्षों से चले आ रहे इस बहुचर्चित मामले को एक बार फिर कानूनी और न्यायिक विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है।

यह मामला 22 मई 1996 का है, जब उत्तर प्रदेश के आगरा से राजस्थान के बीकानेर जा रही एक यात्री बस दौसा जिले से गुजर रही थी। यात्रा के दौरान बस में अचानक भीषण विस्फोट हुआ, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बस के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए और यात्रियों में भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस समय इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इसे राजस्थान की सबसे गंभीर आपराधिक घटनाओं में गिना गया था।

घटना के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने व्यापक जांच शुरू की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कई लोगों को आरोपी बनाया गया। लंबी सुनवाई के बाद निचली अदालत ने अब्दुल हमीद को मुख्य दोषी मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई, जबकि पप्पू उर्फ सलीम को आजीवन कारावास की सजा दी गई। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा चला, हालांकि बाद में अलग-अलग स्तरों पर कई आरोपियों को राहत मिली। मामला जब राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने निचली अदालत के फैसले की समीक्षा की। हाई कोर्ट ने अब्दुल हमीद की मौत की सजा को बरकरार रखा, जबकि छह अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। राज्य सरकार ने इन आरोपियों की रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि दोषियों ने भी अपने खिलाफ दिए गए फैसलों के विरुद्ध अपील दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच प्रक्रिया, उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और मुकदमे की कार्यवाही का गहन परीक्षण किया। इससे पहले दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल हमीद की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी और अंतिम निर्णय आने तक उसके निष्पादन पर रोक बरकरार रखी थी।

अब अंतिम निर्णय सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर दोबारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसी आधार पर अदालत ने अब्दुल हमीद की मौत की सजा को निरस्त करते हुए उसके खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश दिया। इसका अर्थ यह है कि अब संबंधित अदालत इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगी और उपलब्ध साक्ष्यों तथा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर नया निर्णय देगी। सुप्रीम कोर्ट ने पप्पू उर्फ सलीम को भी बड़ी राहत देते हुए उसे दोषमुक्त घोषित कर दिया। अदालत ने उसके खिलाफ पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं पाए, जिसके आधार पर उसे दोषी ठहराया जा सके। इसके साथ ही उसे सभी आरोपों से बरी करने का आदेश दिया गया। राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा छह अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को भी खारिज कर दिया।

'हेट स्पीच' मामले में महुआ मोइत्रा को हाईकोर्ट से राहत, 5 अक्तूबर तक गिरफ्तारी और सख्त पुलिस कार्रवाई पर रोक

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा को कथित 'हेट स्पीच' मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ 5 अक्तूबर तक किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या अन्य कठोर पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह राहत स्थायी नहीं है और तभी तक प्रभावी रहेगी, जब तक महुआ मोइत्रा जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करें, अदालत के निर्देशों का पालन करें और जांच प्रक्रिया में निर्धारित समय पर शामिल हों। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य जांच को निष्पक्ष और प्रभावी बनाए रखना है। यदि कोई आरोपी जांच में सहयोग करता है और उसके खिलाफ दर्ज धाराओं में अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है, तो उसे अंतरिम संरक्षण दिया जा सकता है। इसी आधार पर अदालत ने फिलहाल महुआ मोइत्रा को राहत

प्रदान करते हुए उन्हें 14 अगस्त को संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। महुआ मोइत्रा ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में दावा किया था कि उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला तथ्यों और कानून के आधार पर टिकाऊ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं और इस मामले को राजनीतिक कारणों से दर्ज किया गया है। याचिका में उन्होंने अदालत से एफआईआर रद्द करने अथवा उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़ी धाराओं का भी उल्लेख किया। न्यायालय ने कहा कि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, उनमें अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है। ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार यदि आरोपी जांच में सहयोग करता है और फरार होने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका नहीं होती, तो गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होनी चाहिए। इसी कानूनी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि महुआ मोइत्रा को जांच में शामिल होने के लिए पहले चार नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन वह निर्धारित तिथियों पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुईं। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि जांच निष्पक्ष रूप से जारी है और आरोपी का सहयोग आवश्यक है। महुआ मोइत्रा की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वर्तमान में संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चल रहा है और वह सांसद होने के नाते संसदीय कार्यवाही में भाग लेने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। वकील ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो उनकी मुवक्किल वर्चुअल माध्यम से भी जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। हालांकि अदालत ने उन्हें निर्धारित तिथि पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश बरकरार रखा। सुनवाई के दौरान अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्देश पुलिस प्रशासन को भी दिया। न्यायालय ने कहा कि 14 अगस्त को जब महुआ मोइत्रा पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों, तब उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनके साथ किसी प्रकार की अभद्रता, अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न न होने दी जाए।

कुंभ मेले से वायरल हुई युवती को फिर मिली पुलिस सुरक्षा जान का खतरा बताने पर केरल हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

कोच्चि। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद देशभर में चर्चा का विषय बनी युवती को केरल उच्च न्यायालय से एक बार फिर राहत मिली है। अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जताने वाली युवती की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे दोबारा पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। युवती का कहना है कि कुछ लोग लगातार उसका पीछा कर रहे हैं और सोशल मीडिया तथा व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से उसके ठिकाने की जानकारी साझा कर रहे हैं, जिससे उसकी जान और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष युवती की ओर से कहा गया कि उसके ठिकाने की जानकारी विभिन्न व्हाट्सएप समूहों में प्रसारित की जा रही है और कुछ लोग लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। याचिका में दावा किया गया कि इस कारण वह स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है और उसे तत्काल पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता है।

इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने युवती को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि युवती का पता नहीं लगाया जा सका और उससे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। पुलिस की इस रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने 10 जुलाई को अपना पूर्व आदेश वापस लेते हुए नियमित पुलिस सुरक्षा समाप्त कर दी थी। साथ ही यह निर्देश भी दिया था कि यदि भविष्य में युवती स्वयं पुलिस के पास सुरक्षा की मांग लेकर पहुंचे, तो उसे आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

इसके बाद युवती ने पलारिवट्टम पुलिस स्टेशन में औपचारिक आवेदन देकर अपनी सुरक्षा को लेकर फिर चिंता व्यक्त की। आवेदन में उसने कहा कि कुछ लोग उसके वर्तमान ठिकाने की जानकारी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप समूहों में प्रसारित कर रहे हैं, जिससे उसकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया है। इस नए आवेदन को ध्यान में रखते हुए मामला दोबारा केरल उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए पलारिवट्टम पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को भी पक्षकार बनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि युवती को अगली सुनवाई तक पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को निर्धारित अगली सुनवाई तक पुलिस उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

यह मामला पहले से ही कई कानूनी और सामाजिक पहलुओं के कारण चर्चा में रहा है। युवती के पति फरमान पर उसके कथित अपहरण का आरोप लगाया गया है। यह मामला मध्य प्रदेश पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। शिकायत में युवती के पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी नाबालिग है और उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया। इसी आरोप के आधार पर संबंधित कानूनी कार्रवाई जारी है।

दूसरी ओर, युवती ने अपने पक्ष में सुरक्षा और स्वतंत्रता की मांग करते हुए न्यायालय का रुख किया है। उसका कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसकी निजी जिंदगी लगातार प्रभावित हुई है और अब कुछ लोग उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं तथा उसके ठिकाने की जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं, जिससे उसकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

केरल उच्च न्यायालय ने फिलहाल मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है, बल्कि केवल सुरक्षा संबंधी पहलू को ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह युवती की सुरक्षा सुनिश्चित करे और मामले से संबंधित आवश्यक जानकारी अगली सुनवाई पर प्रस्तुत करे।

अब इस पूरे प्रकरण में 28 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उस दिन अदालत सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की रिपोर्ट तथा मामले की अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी। फिलहाल न्यायालय के आदेश के बाद युवती को एक बार फिर पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उसकी सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े पहलुओं का उचित संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

संपादकीय

फुटबॉल के उतार-चढ़ाव

आखिरकार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में स्पेन के हाथों पिछले चैंपियन अर्जेंटीना की हार के साथ ही दुनियाभर में छाया फुटबॉल का खुमार थम गया। निस्संदेह, यह फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा विश्वकप था। संभवतः हाल के दशकों में संपन्न विश्वकप मुकाबलों में सबसे अधिक विवादास्पद भी। इस आयोजन को सफल बनाने में तीन मेजबान देशों—अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की भागीदारी रही है। इस टूर्नामेंट में 48 टीमों ने शिरकत की और 104 मैचों का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने फुटबॉल की वैश्विक लोकप्रियता को तो दिखाया ही, साथ ही इस खेल के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए। बहरहाल, स्पेन ने 16 साल बाद अपना यह दूसरा खिताब जीता। उसने एक औसत दर्जे के फाइनल मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। वहीं दूसरी ओर तीसरे स्थान के लिए कड़ा मुकाबला टूर्नामेंट की दो सबसे शानदार टीमों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। इस बेहद रोमांचक और यादगार मुकाबले में इंग्लैंड ने 6-4 से जीत हासिल की। वहीं इस टूर्नामेंट में कुछ अल्प ज्ञात टीमों का प्रदर्शन फुटबॉल की दुनिया में उम्मीद जगाने वाला रहा। इस विश्व कप में कैप वर्डे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और कुराकाओ जैसे छोटे देशों का प्रेरणादायक खेल दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। बहरहाल, एक बार फिर किलियन एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी जैसे फुटबॉल के बड़े सितारों ने इस सबसे बड़े मंच पर अपनी चमक बिखेरी। दूसरी ओर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक बार फिर कहानी निराशाजनक रही। उनके प्रशंसक उनकी यादगार विदाई चाहते थे। लेकिन किसी भी खिलाड़ी की कामयाबी में टीम वर्क की बड़ी भूमिका होती है। खिलाड़ियों की साझी भूमिका से ही बड़े स्टार खिलाड़ी चमक सकते हैं। यही वजह है कि किलियन एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी जैसे अद्भुत खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद विश्वकप खिताब से वंचित रह गए। निस्संदेह, किसी भी मजबूत टीम के नगीनों के साझे प्रयास से ही स्वर्णिम सफलता का निर्धारण हो पाता है।

बहरहाल, अब तक के सबसे बड़े और तीन देशों में खेले गए इस टूर्नामेंट के साथ कई तरह के विवाद भी जुड़े। टेक्नोलॉजी पर फीफा की बढ़ती निर्भरता को लेकर भी आलोचकों ने सवाल उठाये। विशेष रूप से वीडियो असिस्टेंट रेफरी यानी वीएआर सिस्टम को लेकर संशय पैदा हुआ। फुटबॉल प्रेमियों ने माना कि यह सिस्टम भरोसेमंद नहीं है। इसके उपयोग और भूमिका को लेकर कई खिलाड़ियों, कोचों और दर्शकों में नाराजगी देखी गई। वहीं दूसरी ओर अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक को लेकर भी काफी हंगामा देखने में आया। दरअसल, ये अमेरिकी खेलों में होने वाले टैक्टिकल टाइमआउट जैसे थे। फुटबॉल प्रेमियों का आरोप था कि इससे खेल की लय टूटी है। दूसरी तरफ कमर्शियल मौके बनते देखे गए। यह पहले से तय था कि अनावश्यक दखलंदाजी के लिये चर्चित अमेरिकी राष्ट्रपति का दखल भी इस टूर्नामेंट में दिखेगा, क्योंकि इस आयोजन के मुख्य टूर्नामेंट अमेरिका में खेले जा रहे थे। इस आयोजन के दौरान तब विवाद सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो से अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन को दिखाए गए रेड कार्ड की समीक्षा करने को कहा था। विवाद तब उठना शुरू हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दखल के बाद अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन पर से एक मैच का बैन हटा लिया गया, जिसके बाद बालोगुन ने राउंड-ऑफ-16 का मैच खेला। लेकिन इस अभूतपूर्व दखल के बाद दंभी अमेरिका टूर्नामेंट से बाहर होने से नहीं बच पाया। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो के साथ पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होने के लिये मैदान पर आए तो लोगों ने अपनी भड़ास निकालते हुए खूब हूटिंग की। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस आयोजन के दौरान जो खामियां सामने आई, आने वाले विश्वकप में फीफा उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा। खासकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इनोवेशन से खेल तो बेहतर होना चाहिए, लेकिन खेल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बहरहाल, खेल की उस मूल आत्मा को अक्षुण्ण रखने की जरूरत है, जिसके चलते फुटबॉल आज दुनिया के सबसे पसंदीदा खेलों में शुमार है।

'छात्रों की गूंज' और बदलता चुनावी विमर्श

> 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम ने यह साफ संकेत दे दिया है कि भविष्य की राजनीति में जाति और धर्म के पारंपरिक औजारों के समानांतर रोजगार, शिक्षा और समान अवसर भी उतने ही प्रभावशाली चुनावी मुद्दे बनने जा रहे हैं।

उत्तराखंड की राजनीति पारंपरिक रूप से राष्ट्रवाद, सैन्य गौरव और धार्मिक अस्मिता के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन हाल ही में देहरादून में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम ने राज्य और देश की मुख्यधारा की राजनीति को एक नया वैचारिक मोड़ दे दिया है। दो निरंतर कार्यकालों की सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इंकम्बेंसी) से जूझ रही भाजपा के खिलाफ विपक्ष के पास मुद्दों का अंबार था। बेरोजगारी और महंगाई जैसे राष्ट्रव्यापी विषयों से लेकर बद्रीनाथ में दान चोरी के कथित विवाद और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे बेहद संवेदनशील स्थानीय मुद्दों तक, कांग्रेस के तरकश में कई तीर थे।

पूरा राजनीतिक अमला और सत्ता पक्ष इस बात के लिए मुस्तैद था कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी देहरादून की धरती से इन सभी ज्वलंत मुद्दों पर तीखे तीर चलाएंगे। विशेष रूप से सैन्य बाहुल्य प्रदेश होने के नाते भाजपा को पूरा यकीन था कि राहुल गांधी 'अग्निवीर योजना' को लेकर सरकार को घेरेंगे। यही वजह थी कि राज्य सरकार ने रक्षात्मक रुख अपनाते हुए 17 जुलाई की शाम 5 बजे राहुल के कार्यक्रम से ठीक पहले आनन-फानन में अग्निवीर योजना को लेकर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर डाला और सरकार में 'अग्निवीर प्रकोष्ठ' के गठन जैसी बड़ी घोषणाएं भी कर दीं। सरकार ने विपक्ष के सबसे बड़े हमले की धार को पहले ही कुंद करने की पूरी बिसात बिछा रखी थी।

लेकिन देहरादून के मंच पर राहुल गांधी ने न तो अग्निवीर का जिक्र किया और न ही अन्य राजनीतिक विवादों का। राहुल गांधी का पूरा ध्यान केवल और केवल एक मुद्दे पर केंद्रित रहा—'पेपर लीक और छात्रों के भविष्य पर सुनियोजित आघात।'

राहुल गांधी का यह रुख किसी राजनीतिक चूक का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहरी और सुनियोजित दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने समझ लिया है कि राष्ट्रवाद और सैन्य मुद्दों पर भाजपा को उसकी पिच पर घेरना कई बार आत्मघाती साबित होता है। अग्निवीर पर बोलते ही बहस 'सेना के मनोबल' बनाम 'राजनीति' पर केंद्रित हो जाती, जिससे मूल मुद्दा भटक जाता।

उन्होंने राज्य के अन्य भावनात्मक मुद्दों को छुए बिना अपना पूरा फोकस देश और राज्य के युवाओं की सबसे दुखती रग—'पेपर लीक'—पर रखा। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस की भावी रणनीति के केंद्र में अब 'युवा और छात्र' आ चुके हैं।

इससे पहले कोटा में छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने वर्तमान शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को 'रिजेक्शन सिस्टम' करार दिया था। देहरादून का कार्यक्रम इसी वैचारिक विमर्श का अगला और अधिक परिपक्व पड़ाव था। यह जनसभा युवाओं की आकांक्षाओं, रोजगार, शिक्षा और अवसरों की उपलब्धता पर केंद्रित एक गंभीर संवाद था।

उत्तराखंड पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, जैसे यूकेएसएसएससी और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं, में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए देश का सबसे कड़ा 'नकल विरोधी कानून' लागू किया और कई मामलों में गिरफ्तारियां भी कीं। सरकार ने इसे अपनी प्रशासनिक इच्छाशक्ति के रूप में पेश किया, लेकिन विपक्ष लगातार इसे इस रूप में प्रचारित करने में सफल रहा है कि व्यवस्था के भीतर बैठे लोग युवाओं के भविष्य के साथ 'अनंत अन्याय' कर रहे हैं।

राहुल गांधी इसी सामूहिक हताशा को एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय राजनीति दशकों से जातिगत समीकरणों और धार्मिक ध्रुवीकरण के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम ने यह साफ संकेत दे दिया है कि भविष्य की राजनीति में जाति और धर्म के पारंपरिक औजारों के समानांतर रोजगार, शिक्षा और समान अवसर भी उतने ही प्रभावशाली चुनावी मुद्दे बनने जा रहे हैं।

अब सरकार के सामने असली चुनौती यह होगी कि वह केवल कड़े कानून बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि रोजगार और भर्ती व्यवस्था में सुधार के ऐसे ठोस और दृश्यमान परिणाम प्रस्तुत करे, जिससे युवाओं के बीच खोया हुआ भरोसा बहाल हो सके। यदि नियुक्तियां समय पर, बिना किसी धांधली के और पारदर्शी तरीके से होती हैं, तो विपक्ष के इस नैरेटिव की हवा अपने आप निकल जाएगी।

युवा मतदाता आज किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत बनाने या बिगाड़ने में सबसे निर्णायक कारक बन चुके हैं। वे सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, वे जागरूक हैं और अपनी समस्याओं के राजनीतिकरण को अच्छी तरह समझते हैं। राहुल गांधी के देहरादून दौरे ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब लोकलुभावन और भावनात्मक बहसों के जाल में फंसने के बजाय सीधे उस मोर्चे पर लड़ना चाहती है, जहां सरकार सबसे ज्यादा संवेदनशील है।

प्रेरणा

सम्मान की वह अनमोल मिसाल जिसने कला को बना दिया पूजा

कला का वास्तविक सौंदर्य केवल मंच की रोशनी, तालियों की गड़गड़ाहट या प्रसिद्धि में नहीं होता, बल्कि उस सम्मान में होता है जो एक कलाकार दूसरे कलाकार की साधना को देखकर उसके प्रति अपने हृदय में अनुभव करता है। सच्ची कला न जाति देखती है, न धर्म, न ऊँच-नीच, न मंच का आकार और न ही लोकप्रियता का पैमाना। वह केवल समर्पण, साधना और प्रतिभा को पहचानती है। इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहाँ महान कलाकारों ने अपने अहंकार को त्यागकर दूसरे कलाकारों की प्रतिभा को नमन किया। ऐसा ही एक प्रेरणादायक प्रसंग भारत की लोकनाट्य परंपरा और शास्त्रीय संगीत की दुनिया से जुड़ा है, जो यह सिखाता है कि कला का सबसे बड़ा पुरस्कार सम्मान है और सबसे बड़ा परिचय विनम्रता।

कार्तिक मास का समय था। देवी शरफी का प्रसिद्ध मेला अपने पूरे शबाब पर था। दूर-दूर से लोग इस मेले में आते थे। कहीं धार्मिक अनुष्ठान हो रहे थे, कहीं खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें सजी थीं, तो कहीं लोककलाओं का अद्भुत संसार लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इसी मेले में एक ओर देश के नामी-गिरामी शास्त्रीय संगीतज्ञों का संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहाँ तबले, सितार, सरोद और गायन की गंभीर प्रस्तुतियाँ हो रही थीं। दूसरी ओर नौटंकी का रंगमंच था, जहाँ प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबजान अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थीं। उस समय नौटंकी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं थी, बल्कि गाँवों और कस्बों की सांस्कृतिक धड़कन थी। नौटंकी में संगीत, अभिनय, नृत्य, संवाद और लोकभाषा का ऐसा संगम होता था कि दर्शक घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते थे। गुलाबजान इस कला की ऐसी साधिका थीं, जिनके नाम मात्र से हजारों लोग उनकी प्रस्तुति देखने उमड़ पड़ते थे। उनके नृत्य में केवल लय और गति नहीं थी, बल्कि भाव, अभिव्यक्ति और लोकसंस्कृति की आत्मा भी बसती थी।

उसी मेले में भारत के महान तबलावादकों में गिने जाने वाले पद्मविभूषण उस्ताद अहमद जान थिरकवा भी संगीत सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित थे। थिरकवा साहब का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। तबले पर उनकी पकड़, लय की समझ और प्रस्तुति की गहराई उन्हें अपने समय का अद्वितीय कलाकार बनाती थी। संगीत के जानकार उनके एक-एक बोल को साधना का परिणाम मानते थे।

संगीत सम्मेलन में बैठे हुए थिरकवा साहब ने एक बात पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि मेले में आने वाली सामान्य जनता का एक बड़ा हिस्सा संगीत सम्मेलन की अपेक्षा नौटंकी की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। वहाँ लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी, जबकि संगीत सम्मेलन अपेक्षाकृत शांत था। यह देखकर उनके मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी कौन-सी विशेषता है जो लोगों को इतनी संख्या में नौटंकी की ओर खींच रही है।

एक सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह सीखने की जिज्ञासा कभी नहीं छोड़ता। थिरकवा साहब के मन में न तो ईर्ष्या थी और न ही किसी प्रकार का अहंकार। वे यह सोचकर स्वयं नौटंकी के मंच की ओर चल पड़े कि वहाँ जाकर देखा जाए कि जनता को क्या आकर्षित कर रहा है।

जब वे वहाँ पहुँचे, तब गुलाबजान अपने नृत्य की चरम अवस्था में थीं। तबले की थाप, हारमोनियम की मधुर धुन और लोकगायकों के स्वर के बीच उनका नृत्य अद्भुत ऊर्जा से भरपूर था। उनके प्रत्येक भाव में अभिनय की गहराई थी और प्रत्येक कदम में वर्षों की साधना झलक रही थी। दर्शकों की आँखें मंच पर टिकी थीं और वातावरण तालियों से गूँज रहा था।

थिरकवा साहब ने कुछ ही क्षणों में समझ लिया कि यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि कठिन अभ्यास, समर्पण और प्रतिभा का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने महसूस किया कि लोककला और शास्त्रीय कला दोनों का उद्देश्य मनुष्य के हृदय को स्पर्श करना है। माध्यम भले अलग हों, लेकिन साधना दोनों में समान होती है।

गुलाबजान की प्रस्तुति समाप्त होने से पहले ही थिरकवा साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी जेब से सौ रुपये का नोट निकाला और बड़े स्नेह और सम्मान के साथ मंच पर भेंट कर दिया। उस समय सौ रुपये बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। यह केवल धन नहीं था, बल्कि एक महान कलाकार द्वारा दूसरे कलाकार की साधना को दिया गया सम्मान था।

जब गुलाबजान को यह ज्ञात हुआ कि यह सम्मान देश के प्रख्यात तबलावादक उस्ताद अहमद जान थिरकवा की ओर से मिला है, तो उनका हृदय भावविभोर हो उठा। उनके लिए यह धन से कहीं अधिक मूल्यवान था। उन्होंने अनुभव किया कि आज उनकी कला को उस कलाकार ने स्वीकार किया है जिसकी साधना के सामने पूरा संगीत जगत नतमस्तक रहता है।

गुलाबजान ने बिना किसी विलंब के अपने पल्लू में रखे सौ रुपये का नोट निकाला। फिर उन्होंने थिरकवा साहब द्वारा दिए गए सौ रुपये के साथ अपना सौ रुपये जोड़कर कुल दो सौ रुपये अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ उन्हें भेंट कर दिए। यह दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भावुक हो उठे।

यह केवल रुपयों का आदान-प्रदान नहीं था। यह दो महान कलाकारों के बीच सम्मान, प्रेम और विनम्रता का आदान-प्रदान था। एक ओर शास्त्रीय संगीत का महान साधक था, दूसरी ओर लोककला की अप्रतिम नृत्यांगना। दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि कला की दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जो जितनी अधिक साधना करता है, वह उतना ही अधिक विनम्र होता जाता है।

आज के समय में जब कला के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, लोकप्रियता और प्रसिद्धि की होड़ अधिक दिखाई देती है, तब यह प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है। यदि कलाकार एक-दूसरे की प्रतिभा का सम्मान करें, तो कला का स्तर और भी ऊँचा उठ सकता है। आलोचना आवश्यक है, लेकिन उससे कहीं अधिक आवश्यक है सच्ची प्रतिभा की पहचान और उसका सम्मान।

यह घटना यह भी बताती है कि लोककला और शास्त्रीय कला कभी एक-दूसरे की विरोधी नहीं रहीं। दोनों भारतीय संस्कृति की दो सशक्त धाराएँ हैं। जहाँ शास्त्रीय संगीत अनुशासन, परंपरा और गहराई का प्रतीक है, वहीं लोककला जनजीवन की सहजता, भावनाओं और सांस्कृतिक विविधता की अभिव्यक्ति है। जब ये दोनों एक-दूसरे का सम्मान करती हैं, तभी भारतीय संस्कृति की वास्तविक समृद्धि सामने आती है।

उस्ताद अहमद जान थिरकवा और गुलाबजान का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि महानता केवल अपनी कला में निपुण होने से नहीं आती, बल्कि दूसरों की प्रतिभा को खुले मन से स्वीकार करने से आती है।

जंतर-मंतर के मुखौटों के पीछे का सच !

चाहे NEET हो याकि कोई भी एग्जाम हो, जो भी स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं उन्हें कठोरतम दंड मिलना ही चाहिए। कोई भी दोषी बख़्शे नहीं जाने चाहिए। किसी भी एग्जाम में जालसाज़ी, पेपरलीक जैसे घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने की संपूर्ण जवाबदेही सरकार की है। कोई व्यक्ति हो, संगठन हों। सबको अपनी-अपनी मांगों को लेकर विरोध करना चाहिए। आप इस्तीफा मांगिए। याकि जो भी संविधान सम्मत विरोध के शांतिपूर्ण तरीके हों, उन सबको करिए। ये हमारे लोकतंत्र की ख़ूबसूरती है। यही भारत है। संवाद के रास्ते हमेशा ही खुले होने चाहिए। सरकार का ये उत्तरदायित्व भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि— देश में अराजकता के संगठित कृत्य को आंदोलन कहकर स्वीकार कर लिया जाएगा। भारत के युवाओं को Cock-roach कहकर अपमानित करने वाली इंटरनेशनल साज़िशों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत में 'कॉकरोच शब्द और दिल्ली जंतर-मंतर कनेक्शन' अब नए संदर्भ में अपरिचित नहीं रह गया है। सबसे पहले कुछ जमूरों ने अमेरिकी में बैठकर- भारत के युवाओं को- भारत के सुप्रीम कोर्ट की ख़िलाफ़त में Cock-roach कहा। फिर भाजपा और मोदी विरोध की पटकथा लिखी गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट के CJI जस्टिस सूर्यकांत ने मई 2026 में ये टिप्पणी फर्जी डिग्री के ज़रिए वकालत करने वाले वकीलों पर की थी। इसका उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया था। लेकिन डीप स्टेट ने आम आदमी पार्टी के जमूरों को आगे कर - भारत की न्यायपालिका के ख़िलाफ़ उकसाया। यहीं से Cockroach शब्द को भारत के युवाओं के माथे पर चस्पा करने की योजना को मूर्तरूप दिया गया।

आम आदमी पार्टी का जमूरा - दीपके भारत आया, इधर-उधर प्रदर्शन के लिए गया लेकिन धूप तक बर्दाश्त न कर पाया। तत्पश्चात FCRA के विरोध में सोनम वांगचुक को अमेरिकी मूल की उनकी पत्नी —रेबेका नॉर्मन के ज़रिए प्रोटेस्ट का चेहरा बनाकर 'जंतर-मंतर' के मैदान में भूख हड़ताल के लिए उतार दिया गया। जहां इमोशनली-सेंटीमेंट भुनाने के तमाम प्रयोजन रचे जाने लगे। नेपाल और बांग्लादेश जैसे सत्ता की रिजीम चेंज करने का खाका खींचा जाने लगा।

फिर मोदी विरोध के जितने भी इकोसिस्टम वाले चेहरे थे, वो सब बिल से बिलबिलाकर सामने आने लगे। उन्होंने पूरी ताक़त झोंक दी कि कैसे भी करके दिल्ली में शाहीन बाग जैसे दंगे फैलाए जाएं। कन्वर्जन कराने वाले गिरोह के वो लोग जो FCRA की मार से चोटिल थे। उन्होंने जी भर के पैसे बहाए। तमाम PR एजेंसीज हायर की गईं। सेलीब्रिटीज कहे जाने वाले क़ौमी लोग—हिंदुत्व को Smash करने के लिए उतर आए। विदेशी और देशी पैसों से सोशल मीडिया कैंपेन को लॉन्च कर दिया गया। भावुक युवाओं ने भी देखा-सुनी ऐसी तमाम स्टोरीज सोशल मीडिया में शेयर कीं। जबकि इस तथाकथित आंदोलन में शिक्षाविद्, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स कहीं नज़र नहीं आए। अगर स्टूडेंट्स नज़र आए भी तो उन्हें मंच पर कहीं स्थान नहीं मिला। सिर्फ़ कुछ हाईजैकर्स , कॉमेडियन, नेता और भारत विरोधी -हिन्दुत्व विरोधी बातें कहने वाले चेहरे नज़र आए। कंटेंट क्रिएटर्स ही दिखते रहे।

प्रोफेशनल PR STYLE में प्रोटेस्टर्स का जमावड़ा हुआ। AISF, SFI समेत तमाम गद्दार वामपंथियों का इकोसिस्टम एक्टिवेट हुआ। JNU-AMU की तर्ज पर अर्बन नक्सल गिरोह की जिहादी डफली सुनाई देने लगी। LGBTQ का प्रचार-प्रसार किया जाने लगा। हिन्दू घ्रणा का परचम बुलंद किया जाने लगा। लेकिन इन जमूरों में से कोई भूख हड़ताल का साहस न कर पाया जिससे तंग आकर ख़ुद सोनम वांगचुक तक को ये कहना पड़ा कि— "आप लोग यहां आकर ठूंस-ठूंस कर खा रहे हैं, मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है।"

इतना ही नहीं ये जंतर-मंतर वाले कॉकरोच - दिन के बाद रात को एसी रूम में जाकर सोते थे। पार्टियां करने में जुट जाते थे। फिर अपने रुटीन में जुट जाते थे। अंततोगत्वा 18 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। किन्तु ये कॉकरोच, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से- सोनम वांगचुक को सरकारी अस्पताल से प्रायवेट अस्पताल में भर्ती कराने की ज़िद पर अड़े। दिल्ली हाईकोर्ट गए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि- सफदरजंग अस्पताल से कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहां उनकी समुचित देखभाल हो रही है।

20 जुलाई 2026 को बिना परमिशन के संसद मार्च करने का 'शाहीन बाग-CAA दंगे' वाली स्टाइल में अभियान चलाया गया। कांग्रेस, AAP समाजवादी पार्टी, भीम-मीम के गठजोड़, लेफ्ट पार्टियां, कन्वर्जन कराने वाले NGO's, अर्बन नक्सली, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज, सो-रोस-डीप स्टेट के वालंटियर्स - सब देश के यूथ के कंधों पर बंदूक रखकर उतर आए। सबने भीड़ जुटाने का पर्याप्त प्रबंध किया। भाजपा और मोदी विरोध के सभी गिरोह एकजुट हुए। भरपूर पैसा बहाया गया। संसद घेरने के लिए भीड़ को उतार दिया गया। जिन क्षेत्रों में ड्रोन प्रतिबंधित थे, वहां शक्ति प्रदर्शन-प्रचार के लिए ड्रोन कैमरे चलाए गए। कश्मीर की तर्ज़ पर भीड़ के ज़रिए पुलिस पर संगठित योजना के तहत पथराव कराया गया। पुलिस वालों और महिला पत्रकारों की लिंचिंग की कोशिशें की गईं। भारत के संविधान ने जिस 'संसद' का गठन किया। जो संसद हमारे देश की सांविधानिक आधारशिला है। उसे उखाड़ फेंकने की बातें दुहराई गईं। भारत को 'नेपाल' बनाने का कॉकरोचों ने दंभ भरा। ये तब हो रहा था जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इनके प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया और चर्चा की।

आप सोचिए कि- इस संगठित भीड़ ने जो उपद्रव किए क्या ये लोकतांत्रिक कृत्य हैं? क्या ये किसी मांग को मनवाने की बातें हैं?

अभियान

प्रेम, आस्था और जगन्नाथ धाम: क्या सच में साथ दर्शन करने वाले प्रेमी नहीं पहुँच पाते विवाह तक?

भारत की सनातन परंपरा में तीर्थ केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं हैं, बल्कि वे आस्था, संस्कृति, दर्शन और लोकजीवन के ऐसे केंद्र हैं, जहाँ इतिहास और जनश्रुतियाँ एक-दूसरे के साथ चलती हैं। प्रत्येक प्रसिद्ध मंदिर के साथ अनेक रहस्य, कथाएँ और लोक-मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं, जो समय के साथ लोगों के विश्वास का हिस्सा बन जाती हैं। कुछ मान्यताओं का आधार धर्मग्रंथों में मिलता है, जबकि कुछ केवल लोककथाओं के रूप में पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनाई जाती हैं। इन्हीं चर्चित लोक-विश्वासों में से एक ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा है। वर्षों से यह कहा जाता रहा है कि यदि कोई अविवाहित प्रेमी-प्रेमिका एक साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है, तो उनके प्रेम संबंध में बाधाएँ आ जाती हैं या वे विवाह तक नहीं पहुँच पाते। यह विश्वास आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। कई श्रद्धालु इसे पूरी श्रद्धा से मानते हैं, जबकि अनेक विद्वान इसे केवल लोक-परंपरा बताते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि इस मान्यता को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी समझा जाए।

पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भारतीय संस्कृति और वैष्णव परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में गिना जाता है। चार धामों में शामिल यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्रीकृष्ण का विराट स्वरूप माना जाता है, जिनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। हर वर्ष निकलने वाली भव्य रथ यात्रा विश्वभर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इस अवसर पर लाखों लोग भगवान के दर्शन के लिए पुरी पहुँचते हैं और मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान के दर्शन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।

जगन्नाथ मंदिर अपनी अनेक अनूठी परंपराओं के कारण भी प्रसिद्ध है। मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई माना जाता है, जहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। मंदिर के ध्वज को प्रतिदिन बदला जाना, नीलचक्र की विशेषता, रथ यात्रा की परंपरा और भगवान के नवकलेवर जैसे अनेक विषय श्रद्धालुओं के मन में विशेष आकर्षण पैदा करते हैं। इन्हीं रहस्यमयी और प्राचीन परंपराओं के बीच एक ऐसी मान्यता भी प्रचलित हो गई कि प्रेमी युगलों को एक साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं करने चाहिए।

ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में वर्षों से यह विश्वास सुनने को मिलता है कि यदि अविवाहित प्रेमी-प्रेमिका एक साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, तो उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण उनका विवाह नहीं हो पाता या दोनों अलग हो जाते हैं। इस कारण अनेक स्थानीय लोग आज भी इस लोक-विश्वास का सम्मान करते हुए अलग-अलग दर्शन करना उचित समझते हैं। यह पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था का विषय है और किसी पर इसे मानने या न मानने का दबाव नहीं है।

इस मान्यता के पीछे जो सबसे अधिक प्रचलित कथा सुनाई जाती है, वह राधा रानी से जुड़ी हुई है। लोककथाओं के अनुसार, एक बार राधा रानी भगवान श्रीकृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप के दर्शन के लिए पुरी पहुँचीं। किंतु किसी कारणवश उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सका। इस घटना से वे अत्यंत दुखी हो गईं। कहा जाता है कि विरह और पीड़ा की उसी अवस्था में उन्होंने यह वचन दिया कि जो भी अविवाहित प्रेमी-प्रेमिका इस मंदिर में साथ दर्शन करेंगे, उन्हें अपने प्रेम की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। धीरे-धीरे यह कथा जनश्रुति बन गई और समय के साथ लोगों के विश्वास का हिस्सा बनती चली गई।

हालाँकि जब इस कथा की धार्मिक दृष्टि से जाँच की जाती है, तो स्थिति कुछ अलग दिखाई देती है। श्रीमद्भागवत महापुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र माहात्म्य, पद्म पुराण तथा जगन्नाथ परंपरा से जुड़े अन्य प्रमुख ग्रंथों में इस कथा का कोई प्रमाणित उल्लेख नहीं मिलता। धर्मशास्त्रों के अनेक विद्वान इस कथा को लोक-परंपरा का हिस्सा मानते हैं, न कि किसी प्रमाणित धार्मिक घटना का। अर्थात यह मान्यता लोकविश्वास के रूप में तो प्रचलित है, लेकिन इसे शास्त्रसम्मत नियम नहीं कहा जा सकता।

यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि भारतीय संस्कृति में लोककथाओं का विशेष स्थान है। लोककथाएँ समाज की सांस्कृतिक स्मृतियों का हिस्सा होती हैं। वे लोगों की भावनाओं, अनुभवों और सामाजिक जीवन को अभिव्यक्त करती हैं। कई बार इन कथाओं का उद्देश्य किसी विशेष धार्मिक संदेश को सरल भाषा में लोगों तक पहुँचाना होता है। इसलिए लोककथा और धार्मिक सिद्धांत के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने भी इस विषय पर कभी कोई आधिकारिक नियम जारी नहीं किया है। मंदिर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अविवाहित प्रेमी-प्रेमिका एक साथ दर्शन नहीं कर सकते। मंदिर में प्रवेश और दर्शन के नियम सभी श्रद्धालुओं के लिए समान हैं। वहाँ किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति या व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर अलग व्यवस्था नहीं बनाई गई है। इसलिए यह कहना कि मंदिर प्रशासन प्रेमी जोड़ों को रोकता है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। धर्माचार्यों का भी कहना है कि भगवान किसी व्यक्ति को उसके सामाजिक संबंधों के आधार पर नहीं परखते। भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व श्रद्धा, विश्वास और भक्ति है। यदि भक्त का मन निर्मल है और उसकी भावना निष्कपट है, तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। भारतीय दर्शन में बार-बार यह बताया गया है कि ईश्वर केवल भाव के भूखे होते हैं। उनके लिए व्यक्ति की बाहरी पहचान से अधिक उसके अंतर्मन की पवित्रता का महत्व होता है।

राधा और श्रीकृष्ण का संबंध भारतीय भक्ति साहित्य में प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। राधा रानी को करुणा, समर्पण और दिव्य प्रेम की प्रतीक माना गया है। अनेक वैष्णव संतों और विद्वानों का मत है कि प्रेम का संदेश देने वाली राधा रानी के बारे में ऐसी कथा को ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं होगा। उनके अनुसार यह कथा केवल लोक-परंपरा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच एक विशेष विश्वास को बनाए रखना रहा होगा। आधुनिक समय में सोशल मीडिया ने इस लोक-मान्यता को और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। अनेक वीडियो और संदेशों में इसे बिना किसी प्रमाण के धार्मिक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परिणामस्वरूप कई श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं और इसे मंदिर का नियम समझ बैठते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि मंदिर प्रशासन ने कभी भी इस प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया।

जगन्नाथ संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता समावेशिता है। भगवान जगन्नाथ को "जगत का नाथ" कहा जाता है, अर्थात वे संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। उनकी कृपा सभी पर समान रूप से होती है। रथ यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब भगवान स्वयं अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर प्रत्येक भक्त को दर्शन देते हैं। इस परंपरा का संदेश स्पष्ट है कि भगवान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते।

मंदिर की महाप्रसाद परंपरा भी समानता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ तैयार होने वाला महाप्रसाद सभी श्रद्धालुओं के लिए समान रूप से उपलब्ध होता है। जाति, वर्ग, भाषा या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यह परंपरा जगन्नाथ संस्कृति के व्यापक और उदार स्वरूप को दर्शाती है।

यदि कोई श्रद्धालु व्यक्तिगत आस्था के कारण इस लोक-मान्यता का पालन करता है, तो यह उसका अपना निर्णय है। वहीं यदि कोई इसे केवल जनश्रुति मानकर अपने प्रियजन के साथ भगवान के दर्शन करता है, तो उसमें भी कोई धार्मिक बाधा नहीं है। दोनों ही स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण है।

भारतीय संस्कृति सदैव यह सिखाती है कि श्रद्धा और विवेक दोनों साथ-साथ चलने चाहिए। लोक-परंपराओं का सम्मान करना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है, लेकिन किसी भी मान्यता को अंतिम सत्य मानने से पहले उसके शास्त्रीय और ऐतिहासिक आधार को समझना भी आवश्यक है। यही संतुलित दृष्टिकोण धर्म की वास्तविक भावना को मजबूत बनाता है।

भगवान जगन्नाथ का स्वरूप प्रेम, करुणा, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उनके दरबार में आने वाला प्रत्येक भक्त समान रूप से उनकी कृपा का अधिकारी माना जाता है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

गुजरात सरकार के मेगा अभियान 'ऑपरेशन सुरक्षित साइबरस्पेस' के तहत राज्यभर में 5 हजार से अधिक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए

▸▸ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए गुजरात पुलिस का मेगा अभियान
▸▸ सेक्सटॉर्शन से लेकर डीपफेक तक के ऑनलाइन खतरों के खिलाफ गुजरात पुलिस की तत्परता
▸▸ पहले दो सप्ताह में 5,289 जागरूकता कार्यक्रम, सेक्सटॉर्शन, डीपफेक और साइबर स्टॉकिंग जैसे खतरों के खिलाफ 3,415 विशेष सत्र आयोजित किए गए

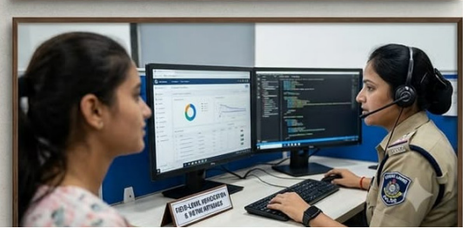

गांधीनगर : विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा का अनुभव हो, इसके लिए गुजरात राज्य पुलिस ने नई पहल करते हुए लगातार 28 दिनों का विशेष अभियान 'ऑपरेशन सुरक्षित साइबरस्पेस' चलाया है। इस अभियान के पहले दो सप्ताह में ही गुजरात पुलिस की शी-टीम और साइबर सेल ने राज्यभर में 5,289 जागरूकता कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री जी. एस. मलिक के मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता, टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी, पीड़ितों तक पहुंच, साइबर जागरूकता तथा त्वरित कानूनी कार्रवाई द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम करना है।

सीआईडी क्राइम महिला सेल के एडीजीपी श्री अजय चौधरी ने कहा कि डिजिटल युग में महिलाओं एवं बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 'ऑपरेशन सुरक्षित साइबरस्पेस' के माध्यम से हम डीपफेक और सेक्सटॉर्शन जैसे गंभीर साइबर अपराधों के प्रति नागरिकों को जागरूक कर सुरक्षित वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। गुजरात पुलिस प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। ऑपरेशन सुरक्षित साइबरस्पेस अंतर्गत राज्य में नागरिकों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए आयोजित कार्यक्रमों को अभूतपूर्व प्रतिसाद प्राप्त हुआ। पहले सप्ताह के दौरान साइबर जागरूकता और दृश्यता के अंतर्गत 1,874 कार्यक्रम तथा दूसरे सप्ताह के दौरान सेक्सटॉर्शन, डीपफेक और साइबर स्टॉकिंग जैसे गंभीर ऑनलाइन खतरों की रोकथाम के लिए 3,415 विशेष सत्र आयोजित किए गए। इन जनजागरूकता शिविरों के माध्यम से पुलिस ने लाखों नागरिकों से सीधे संपर्क स्थापित किया।

अभियान के पहले सप्ताह में राज्य में व्यापक स्तर पर जागरूकता और दृश्यता बढ़ाने के लिए सघन अभियान चलाया गया। इन सात दिनों के दौरान राज्यभर में विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत 1,874 जागरूकता कार्यक्रमों और रैलियों का सफल आयोजन किया गया। इनमें डिजिटल एवं शारीरिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए राज्यव्यापी लॉन्चिंग के 185 कार्यक्रम, स्कूलों में साइबर सुरक्षा दिवस के अंतर्गत 438 कार्यक्रम तथा किशोरी सुरक्षा दिवस के अंतर्गत 336 विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त; अभिभावकों को जागरूक करने के लिए 318 तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 281 कार्यक्रम आयोजित किए गए। उच्च शिक्षा स्तर पर युवाओं को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए कॉलेजों में साइबर अभियान के 207 कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में कुल 109 साइबर रैलियां आयोजित कर नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया।

अभियान के दूसरे सप्ताह में जागरूकता से एक कदम आगे बढ़ते हुए साइबर अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा संबंधी उपायों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इस सप्ताह के दौरान डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित उपयोग के लिए विभिन्न विषयों पर आधारित कुल 4,172 कार्यक्रमों और जनजागरूकता शिविरों का व्यापक आयोजन किया गया। इनमें सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के लिए 'सोशल मीडिया सुरक्षा' अंतर्गत सर्वाधिक 743 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए 'डीपफेक जागरूकता' के 578 कार्यक्रम, 'साइबर स्टॉकिंग रोकथाम' के लिए 514 कार्यक्रम तथा बढ़ते हुए सेक्सटॉर्शन अपराधों के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए 'सेक्सटॉर्शन विरोधी दिवस' के अंतर्गत 520 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऑनलाइन सुरक्षा के अंतर्गत 'गेमिंग सुरक्षा' के लिए 512 तथा 'ऑनलाइन ग्रूमिंग रोकथाम' के लिए 466 कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों और युवाओं को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया। इन सभी गतिविधियों के अतिरिक्त अंतिम छोर तक रहने वाले नागरिकों तक पहुंचने के लिए पूरे राज्य में कुल 461 जनजागरूकता शिविर भी आयोजित किए गए।

इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पुलिस कॉन्स्टेबल, सहायक उपनिरीक्षक, हेड कॉन्स्टेबल, पीएसआई तथा पुलिस निरीक्षक तक के सभी फील्ड अधिकारियों के लिए कार्य बिंदु निर्धारित किए गए हैं। सभी अधिकारियों का मूल्यांकन जागरूकता, रोकथाम, क्रियान्वयन, जांच की गुणवत्ता तथा जनविश्वास जैसे पांच प्रमुख मापदंडों के आधार पर किया जा रहा है। गुजरात पुलिस ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि वे किसी भी प्रकार के साइबर अपराध या ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार बनते हैं, तो बिना किसी भय के तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराएं।

बरसात में भी धूप से बचाव है जरूरी: सनस्क्रीन के साथ अपनाएं प्राकृतिक घरेलू उपाय- शहनाज़ हुसैन

बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, हरियाली और राहत लेकर आता है। अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि बारिश के दिनों में धूप का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए त्वचा की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। बादलों से घिरे आकाश के बावजूद सूर्य की यूवी-ए (UVA) और यूवी-बी (UVB) किरणें बादलों को भेदकर त्वचा तक पहुंच जाती हैं। यही किरणें त्वचा को समय से पहले बूढ़ा बनाना, टैनिंग, सनबर्न, झाइयां, पिगमेंटेशन और त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने जैसी समस्याओं का कारण बनती हैं। इसलिए केवल गर्मियों में ही नहीं, बल्कि बरसात के मौसम में भी सनस्क्रीन का नियमित उपयोग उतना ही आवश्यक है। मैं हमेशा सलाह देती हूं कि बारिश के मौसम में भी कम से कम SPF 30 या उससे अधिक क्षमता वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना चाहिए, जो UVA और UVB दोनों प्रकार की किरणों से सुरक्षा प्रदान करे। यदि आप लंबे समय तक बाहर रहते हैं, तो हर दो से तीन घंटे में सनस्क्रीन दोबारा लगाना चाहिए। लेकिन केवल बाजार में मिलने वाले सनस्क्रीन पर ही निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। हमारी रसोई और घर में मौजूद कई प्राकृतिक तत्व ऐसे हैं, जो त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ धूप के दुष्प्रभावों से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्राकृतिक उपचारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे केवल त्वचा की बाहरी सुरक्षा ही नहीं करते, बल्कि उसे भीतर से भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इनमें मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, खनिज और मॉइस्चराइजिंग गुण त्वचा की रक्षा करते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर पर बनाए गए ये मिश्रण चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित SPF वाले सनस्क्रीन का पूर्ण विकल्प नहीं हैं। इन्हें त्वचा की अतिरिक्त देखभाल और पोषण के लिए उपयोग किया जा सकता है, जबकि धूप से प्रभावी सुरक्षा के लिए प्रमाणित सनस्क्रीन का प्रयोग जारी रखना चाहिए।

एलोवेरा त्वचा के लिए प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। यदि त्वचा धूप में झुलस गई हो या लाल पड़ गई हो, तो एलोवेरा जेल तुरंत राहत पहुंचाता है। इसके लिए एलोवेरा की ताजी पत्ती को काटकर उसका जेल निकाल लें और सीधे प्रभावित त्वचा पर लगा दें। लगभग 20 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। एलोवेरा त्वचा की जलन कम करता है, उसे ठंडक देता है और त्वचा की मरम्मत में भी सहायता करता है। बरसात के मौसम में भी यदि कभी तेज धूप में बाहर जाना पड़े तो घर लौटकर एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा को काफी आराम मिलता है।

खीरा भी त्वचा को ठंडक पहुंचाने वाला अत्यंत उपयोगी प्राकृतिक तत्व है। खीरे को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें और उसमें बराबर मात्रा में गुलाबजल मिला लें। इस मिश्रण को एक साफ बोतल में भरकर फ्रिज में रखें। बाहर जाने से पहले इसे कॉटन की सहायता से चेहरे और गर्दन पर लगाएं। यह त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करने और हल्की टैनिंग को कम करने में भी मदद करता है। गुलाबजल त्वचा का प्राकृतिक टोनर है और बरसात में त्वचा को ताजगी प्रदान करता है।

नारियल का तेल और जैतून का तेल त्वचा को पोषण देने वाले श्रेष्ठ प्राकृतिक तेलों में गिने जाते हैं। आधा कप वर्जिन नारियल तेल में लगभग 15 बूंद ऑलिव ऑयल और 6–7 बूंद कैरट सीड ऑयल मिलाकर एक कांच की बोतल में भर लें। यह मिश्रण त्वचा को नमी प्रदान करता है और सूखी त्वचा की रक्षा करने में सहायक होता है। हालांकि इसे प्रमाणित सनस्क्रीन का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि मॉइस्चराइजिंग और त्वचा की अतिरिक्त देखभाल के लिए उपयोग करना चाहिए। शिया बटर त्वचा को मुलायम और लचीला बनाए रखने के लिए विश्वभर में लोकप्रिय है। यदि आप घर पर पौष्टिक स्किन क्रीम बनाना चाहते हैं, तो दो चम्मच बादाम का तेल, एक चम्मच शिया बटर, एक चम्मच कोको बटर और एक विटामिन-ई कैप्सूल का तेल अच्छी तरह मिला लें। यदि आप जिंक ऑक्साइड का उपयोग करना चाहते हैं, तो केवल कॉस्मेटिक-ग्रेड नॉन-नैनो जिंक ऑक्साइड का ही प्रयोग करें और इसे सावधानीपूर्वक मिलाएं। तैयार मिश्रण को एयरटाइट कंटेनर में रखें और बाहर निकलने से लगभग 15–20 मिनट पहले त्वचा पर लगाएं। ध्यान रहे कि घर पर बनाए गए ऐसे मिश्रण का वास्तविक SPF ज्ञात नहीं होता।

एलोवेरा जेल और शिया बटर का मिश्रण भी त्वचा को नमी देने और उसे कोमल बनाए रखने के लिए उपयोगी है। एक चम्मच एलोवेरा जेल, दो चम्मच नारियल तेल और तीन से चार चम्मच शिया बटर को अच्छी तरह मिलाकर क्रीम जैसा मिश्रण तैयार करें। इसे साफ डिब्बे में भरकर फ्रिज में रखें। यह मिश्रण विशेष रूप से शुष्क त्वचा वालों के लिए लाभकारी हो सकता है।

विटामिन-ई त्वचा की मरम्मत और एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। एलोवेरा जेल, विटामिन-ई ऑयल और सूरजमुखी के तेल का मिश्रण त्वचा को पोषण देने का अच्छा माध्यम बन सकता है। यदि इसमें कॉस्मेटिक-ग्रेड जिंक ऑक्साइड मिलाया जाए तो यह एक सुरक्षात्मक परत बनाने में सहायक हो सकता है, लेकिन इसकी सूर्य-रक्षा क्षमता वैज्ञानिक रूप से मापी नहीं जाती। इसलिए बाहर निकलते समय पहले प्रमाणित सनस्क्रीन लगाएं और उसके बाद इस प्रकार की प्राकृतिक क्रीम का उपयोग करें।

अखरोट का तेल ओमेगा फैटी एसिड और विटामिन-ई से भरपूर होता है। एलोवेरा जेल, शिया बटर, नारियल तेल और अखरोट के तेल का मिश्रण त्वचा को मुलायम बनाए रखने में सहायक होता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी त्वचा बारिश के मौसम में भी रूखी रहती है। यदि आप अत्यंत सरल घरेलू क्रीम बनाना चाहते हैं, तो चार चम्मच एलोवेरा जेल और चार चम्मच नारियल तेल को अच्छी तरह फेंट लें, जब तक मिश्रण क्रीमी न हो जाए। इसमें दो-तीन बूंद गुलाब या चंदन का एसेंशियल ऑयल मिलाया जा सकता है। तैयार मिश्रण को कांच के साफ जार में भरकर रखें। इसे बाहर जाने से लगभग 15–20 मिनट पहले चेहरे, गर्दन और हाथों पर लगाएं। यह त्वचा को नमी, ताजगी और आराम देता है। बरसात के मौसम में केवल बाहरी देखभाल ही पर्याप्त नहीं होती। त्वचा को भीतर से स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आवश्यक है। मौसम ठंडा होने के कारण लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, जिससे त्वचा बेजान और रूखी हो सकती है। दिनभर पर्याप्त पानी, नारियल पानी, ताजे फलों का रस और मौसमी फलों का सेवन त्वचा की चमक बनाए रखने में मदद करता है। अपने भोजन में विटामिन-सी, विटामिन-ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें। आंवला, संतरा, अमरूद, पपीता, टमाटर, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां और सूखे मेवे त्वचा को भीतर से पोषण देते हैं। स्वस्थ भोजन का प्रभाव किसी भी महंगे सौंदर्य प्रसाधन से अधिक लंबे समय तक दिखाई देता है।

बारिश के मौसम में चेहरा दिन में दो बार हल्के फेस क्लींजर से साफ करें। अत्यधिक स्क्रबिंग से बचें, क्योंकि इससे त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत कमजोर हो सकती है। सप्ताह में एक या दो बार मुल्तानी मिट्टी, चंदन और गुलाबजल का हल्का फेस पैक लगाने से त्वचा तरोताजा बनी रहती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि आपको लंबे समय तक धूप में रहना पड़ता है, समुद्र तट या पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करनी है, या आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। ऐसे अवसरों पर त्वचा विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का ही प्रयोग करें और आवश्यकता अनुसार उसे दोबारा लगाते रहें। टोपी, छाता, धूप का चश्मा और पूरे बाजू के हल्के सूती कपड़े भी धूप से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्राकृतिक उपचार त्वचा को स्वस्थ, कोमल और चमकदार बनाए रखने में अत्यंत उपयोगी हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान का संतुलित उपयोग ही सर्वोत्तम परिणाम देता है। इसलिए प्रमाणित सनस्क्रीन के साथ घरेलू प्राकृतिक उपायों को अपनी दैनिक त्वचा-देखभाल का हिस्सा बनाइए। यही संतुलित दृष्टिकोण आपकी त्वचा को बरसात के मौसम में भी सुरक्षित, स्वस्थ और दमकता हुआ बनाए रखेगा।

आदिजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने-आने के लिए समयबद्ध व सुरक्षित परिवहन व्यवस्था प्रदान कर रही राज्य सरकार

▸▸ मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव परिवहन सेवा अंतर्गत गांधीनगर में 139 नई बसों का लोकार्पण किया
▸▸ आदिजाति परिवार के 4100 से अधिक विद्यार्थियों के लिए स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई के लिए पर्याप्त सुविधायुक्त परिवहन सेवा से उच्च शिक्षा तथा कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा
▸▸ प्रधानमंत्री की प्रेरणा से भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव परिवहन बस सेवा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान, कुल 250 बसें सेवारत
▸▸ सभी बसें जीपीएस से सुसज्ज, वेब पोर्टल द्वारा विद्यार्थियों की दैनिक मॉनिटरिंग

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने राज्य के आदिजाति जिलों के दुर्गम, सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज आने-जाने के लिए समय पर और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था की सुविधा की भेंट दी है।

उन्होंने इस उद्देश्य से भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव परिवहन बस सेवा में शामिल 139 नई बसों को गांधीनगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

राज्य सरकार के आदिजाति विकास विभाग एवं गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के संयुक्त उपक्रम अंतर्गत कुल 33.84 करोड़ रुपए की लागत से ये 139 नई बसें आदिजाति क्षेत्रों में सेवा के लिए शुरू की गई हैं।

राज्य सरकार के आदिजाति क्षेत्रों के सुदूरवर्ती, दुर्गम तथा पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले आदिजाति परिवारों के बच्चों एवं युवाओं को उनके निवास स्थान से दूर स्थित स्कूलों और कॉलेजों तक पढ़ने के लिए आने-जाने की सरल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव परिवहन योजना के तहत 72 करोड़ रुपए की लागत से 250 बसें आवंटित कराने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जंयती के अवसर पर गत वर्ष 15 नवंबर को नर्मदा जिले के डेडियापाडा से इस योजना के अंतर्गत 111 बसों को हरी झंडी दिखाकर आदिजाति क्षेत्रों में विद्यार्थियों की सेवा के लिए प्रस्थान कराया था।

भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव परिवहन बस सेवा अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने मंगलवार, 21 जुलाई को विभिन्न क्षेत्रों के लिए 139 अतिरिक्त बसों को रवाना किया।

इन बस सेवाओं का लाभ लगभग 4100 से अधिक आदिजाति विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज आने-जाने में मिलेगा। इतना ही नहीं; परिवहन सुविधा के माध्यम से कन्या शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिलेगा। स्कूल-कॉलेजों में नियमित उपस्थिति बढ़ेगी तथा विद्यालय छोड़ने की दर में भी कमी आएगी।

इसके अतिरिक्त; विद्यार्थियों को घर से स्कूल तथा स्कूल से घर तक समय पर और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव परिवहन योजना के अंतर्गत सभी बसों में जीपीएस प्रणाली के माध्यम से निगरानी की जाएगी तथा प्रतिदिन बस में यात्रा करने वाले विद्यार्थियों का नाम, बस पास नंबर, रूट, स्कूल तथा गाँव की जानकारी वेब पोर्टल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। स्कूल-कॉलेज के समय के बाद इन बसों की सुविधा राजस्व मॉडल के तहत आदिजाति क्षेत्रों के आम नागरिकों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस योजना के प्रथम चरण में हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 111 बसों का राज्य के आदिजाति जिलों के विद्यार्थियों ने बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त किया है तथा शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में लगभग 5700 विद्यार्थी इसका लाभ ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल एवं उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी द्वारा आदिजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों की शैक्षणिक सुविधा के लिए इन 139 अतिरिक्त बसों को रवाना किए जाने के अवसर पर जनजातीय विकास मंत्री श्री नरेशभाई पटेल, परिवहन राज्य मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी, राज्य मंत्री श्री पी.सी. बरंडा, श्री जयराम गामित तथा श्री रमेश कटारा, आदिजाति क्षेत्रों के विधायक, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ सचिव एवं अधिकारी भी उपस्थित रहे।

दिल्ली में युवाओं ने NEET परीक्षा के नतीजों के लीक होने के विरोध में संसद तक मार्च किया और लाठीचार्ज और हंगामे के बीच इस्तीफे की मांग की

(निर्भीक, निष्पक्ष एवं तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा) सूरत.

सोमवार को संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था। वहीं दूसरी ओर, दिल्ली के जंतर-मंतर पर हजारों युवा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जमा हुए और जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकाला। सुबह शुरू हुए इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने जंतर-मंतर से ही लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई।

इसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे गए, जिनमें कई युवक घायल हो गए, लेकिन युवाओं ने हार नहीं मानी। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को आते देख संसद के कुछ प्रवेश द्वार बंद करने पड़े। इस आंदोलन में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में युवक दिल्ली पहुंचे और आंदोलन में शामिल हुए। इसे रोकने के लिए मोदी सरकार ने हर तरह के उपाय किए, जिनमें जैमर लगाना और नेटवर्क को ठप करना शामिल था। जब पता चला कि कुछ युवक मेट्रो से आंदोलन में शामिल होने वाले हैं, तो दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों को भी बंद करना पड़ा।

इस प्रकार, NEET-UG परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद युवाओं में आक्रोश बढ़ने लगा। इसी दौरान कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ और बाद में विभिन्न स्थानों से अनेक लोग आंदोलन में शामिल होने लगे। सोमवार को संसद मार्च में सबसे अधिक भीड़ देखी गई और आंदोलन के नेता अभिजीत दीपके समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र और युवा घायल हो गए। इस कार्रवाई में पुलिसकर्मी भी घायल हुए। वहीं दूसरी ओर, इस आंदोलन से जुड़ी सोनम वांगचुक, जो फिलहाल दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं, ने घोषणा की है कि वह अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगी और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।

इसी बीच, आंदोलन में शामिल कॉकरोच जनता पार्टी के दो नेताओं ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात की। इस संबंध में सरकार को एक याचिका भी सौंपी गई है। लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इस प्रकार, एक लोकतांत्रिक देश में, अधिकारों की आवाज उठाने वालों और अधिकारों के लिए लड़ने वालों को केवल क्रूर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों से ही रुलाया जा सकता है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पुलिस या सादे कपड़ों में मौजूद अन्य लोगों ने छात्रों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे, जिससे छात्र (युवक और महिलाएं) गंभीर रूप से घायल हो गए और खून-खराबा हुआ। जनता उनसे केवल एक ही सवाल पूछती है, अगर आज आपके अपने बच्चे (लाठीचार्ज करने वालों और आदेश देने वालों के) छात्रों के बीच होते तो उनकी हालत देखकर आपको कैसा लगता? हमें अपने भीतर की आवाज़ से पूछना चाहिए कि छात्रों का दर्द क्या है? ऐसी असंवेदनशील सरकार के लिए इससे अधिक शर्मनाक और क्या हो सकता है?

कोविड-19 के दौरान ड्यूटी में जान गंवाने वाले गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) के ड्राइवर, कंडक्टर सहित 115 कर्मचारियों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी

▸▸ कोविड-19 महामारी के दौरान 2020-21 में जीएसआरटीसी ने गुजरात में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित रूप से उनके गृह राज्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, निगम ने तीन राज्यों में 22,953 ट्रिप्स का संचालन कर कुल 6,99,357 यात्रियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी
▸▸ कोविड-19 महामारी में जीएसआरटीसी के कुल 115 कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से जान गंवाई थीं, जिनमें 39 ड्राइवर, 31 कंडक्टर, 29 प्रशासनिक कर्मचारी और 16 मैकेनिक शामिल हैं। जान गंवाने वाले प्रत्येक कोरोना वॉरियर को 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी

गांधीनगर : कोरोना महामारी के दौरान निष्ठापूर्वक ड्यूटी करते हुए कोविड संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) के 115 कर्मचारियों के परिवारजनों को 25-25 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि दी जाएगी। अनुग्रह सहायता राशि के चेक वितरण का यह कार्यक्रम बुधवार, 27 जुलाई को गांधीनगर के स्वर्णिम संकुल-1 स्थित नर्मदा हॉल में आयोजित होगा। इस पहल के तहत कुल 28.75 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयता दी जाएगी, जो गुजरात सरकार की कर्मचारियों के परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में सार्वजनिक सेवा देने वाले कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित करने की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।

राज्य के सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ जीएसआरटीसी रोजाना 8000 से अधिक बसों का संचालन करता है। निगम प्रतिदिन 34 लाख किलोमीटर से अधिक के संचालन के जरिए 27 लाख से अधिक यात्रियों को परिवहन सेवा प्रदान करता है। निगम के ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिक राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को निरंतर कार्यरत रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा, "कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020-21 में जीएसआरटीसी ने गुजरात में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक सुरक्षित पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। निगम ने तीन राज्यों में 22,953 ट्रिप्स का संचालन करते हुए कुल 6,99,357 यात्रियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया।"

श्री हर्ष संघवी ने आगे कहा कि इस विशाल राहत कार्य के दौरान अनेक अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से संक्रमित हुए, जिनमें से कुल 115 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई। मृतकों में 39 ड्राइवर, 31 कंडक्टर, 29 प्रशासनिक कर्मचारी और 16 मैकेनिक शामिल हैं। यह दिखाता है कि निगम के विभिन्न वर्गों के कोरोना वॉरियर्स ने इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया।

श्री हर्ष संघवी ने कहा, "ड्यूटी के दौरान कोविड से संक्रमित हुए कर्मचारियों की पहचान के लिए निगम द्वारा गठित समिति द्वारा विस्तार से जांच करने के बाद प्रत्येक पात्र कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में मृतक जीएसआरटीसी कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया गया है। यह सहायता निगम के कोरोना वॉरियर्स की निष्ठा, सेवा और बलिदान को अर्पित श्रद्धांजलि है।"

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के दौरान ड्यूटी में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों की मौत के मामले में उन्हें कोरोना वॉरियर मानकर उनके परिवारजनों को यह सहायता देने के लिए परिपत्र जारी किया गया था। लेकिन, जीएसआरटीसी के एक निगम होने के कारण उनके परिवारजनों को इस सहायता का लाभ मिलने को लेकर उलझन थी। उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने इस मुद्दे को अत्यंत संवेदना के साथ ध्यान में लेकर इसका रास्ता निकाला तथा ड्राइवरों और कंडक्टरों सहित 115 कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर मानने और उनके परिवारों को भी 25 लाख रुपए की सहायता का भुगतान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

पश्चिम रेलवे
अहमदाबाद मण्डल

मुख्य पुलों के पुनःनिर्माण के संबंध में OHE संशोधन

ई-निविदा सूचना संख्या : Sr.DEE/TRD/ADI/25(2026-27) दिनांक : 20.07.2026

क्रम सं. 1: निविदा सं. TRD-ADI-T-13R-2026-27, कार्य का नाम: खोडियार–महेसाणा अनुभाग में प्रमुख पुल सं. 1020, 1022, 1051, 1038 एवं 1008 के पुनःनिर्माण/मजबूतीकरण के संबंध में OHE संशोधन करने का कार्य। अनुमानित लागत: ₹ 2,07,05,034.50 बयाना राशि: ₹ 4,14,100/- क्रम सं. 2: निविदा सं. TRD-ADI-T-15R-2026-27, कार्य का नाम: गांधीधाम–न्यु भुज अनुभाग में प्रमुख पुल सं. 12 एवं 48 के पुनःनिर्माण के संबंध में OHE संशोधन करने का कार्य। अनुमानित लागत: ₹ 1,03,30,693.60 बयाना राशि: ₹ 2,06,600/- दोनों निविदा के लिए: निविदा जमा करने एवं खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक: 17/08/2026 को 15:00 बजे उसके बाद नहीं एवं दिनांक: 17/08/2026 को 15:30 बजे निविदा खोली जायेगी। कार्यालय का पता एवं वेबसाईट विवरण: वरिष्ठ मण्डल बिजली अभियंता, म.रे.प्र. कार्यालय (प.रे.), चामुंडा पुल के पास, जी.सी.एस. अस्पताल के सामने, नरोडा रोड, अमदुपुरा, अहमदाबाद-382345 वेबसाईट विवरण: www.ireps.gov.in ADI-111

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गांधीनगर-साबरकांठा जिले के 815 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण और ई-शिलान्यास किया

▸▸ सादरा में 89 करोड़ रुपए के खर्च से साबरमती नदी पर बने नए ब्रिज और चराड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

▸▸ विकसित गुजरात' के माध्यम से ही साकार होगा 2047 का 'विकसित भारत'
▸▸ माणसा और प्रांतिज क्षेत्र में विकास की गंगा अविरल बहती रहेगी, 817 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जनता को समर्पित
▸▸ साबरमती नदी पर बैराज के निर्माण से जलस्तर ऊंचा उठेगा, किसानों और पशुपालकों की बढ़ेगी समृद्धि
▸▸ साहित्यकार रघुवीर चौधरी के नाम पर निर्मित संस्कार भवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा

....

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गत 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ प्रधानमंत्री की प्रेरणा से विकास अब केवल शहरों तक सीमित न रहकर गांवों के गरीब, वंचित और हाशिये पर खड़े लोगों के घरों तक पहुंचा है
▸▸ जहां सड़कें बनती हैं, वहां रोजगार आता है, जहां स्वास्थ्य केंद्र बनता है, वहां जीवन की सुरक्षा बढ़ती है और जहां शिक्षा की सुविधा बढ़ती है, वहां भविष्य उज्ज्वल और विकासमय बनता है
▸▸ श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और श्री अमित शाह की प्रेरणा से गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चल रहा है
▸▸ 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' ने ग्रामीण भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है

गांधीनगर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद श्री अमित शाह ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से गांधीनगर और साबरकांठा जिले के 815 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात में शुरू की गई विकास की गंगा आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जोरों से आगे बढ़ रही है। आज माणसा और प्रांतिज निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 815 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 89 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अलुवा-सादरा ब्रिज से जक्षिणी माताजी के मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पर्यटन को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों तथा श्रद्धालुओं के लिए यातायात सुगम होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आसपास के लगभग 1 लाख से अधिक गरीब एवं साधारण नागरिकों को 24 घंटे डायलिसिस, ऑपरेशन थियेटर, नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने आगे कहा कि माणसा के राणियापुर में सामुदायिक भवन, अलकापुरी में ईएसआर वाटर टैंक और बापूपुरा गांव में संस्कार भवन ट्रस्ट के सुसज्जित भवनों के लोकार्पण से नागरिकों की खुशहाली बढ़ेगी।

माणसा और चराड़ा गांव का नाम देशभर में रोशन करने वाले पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रघुवीर चौधरी के योगदान की सराहना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एक साधारण पशुपालक और किसान परिवार से आने और साहित्य जगत में उपलब्धि हासिल करने के बाद भी उनकी विनम्रता बरकरार है। उनके नाम पर बना संस्कार भवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा।

उन्होंने कहा कि सिंचाई और पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए साबरमती नदी पर दो बड़े बैराज बनाए जाएंगे। इन बैराजों के निर्माण से चराड़ा, माणसा और रिद्रोल सहित दूसरे क्षेत्रों में साबरमती नदी का पानी 8 महीने तक संग्रहित रहेगा। इससे क्षेत्र में तेजी से नीचे जा रहे भूमिगत जलस्तर में 5 से 10 फुट तक का बड़ा सुधार होगा। किसानों और पशुपालकों की समृद्धि बढ़ेगी तथा पर्यटन एवं वन्यजीवन संरक्षण को भी बल मिलेगा।

श्री शाह ने कहा कि माणसा इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गांधीनगर तक न जाना पड़े, इसके लिए अत्याधुनिक सिविल हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। साथ ही, आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को एकीकृत

कर श्रेष्ठ चिकित्सा उपचार सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'विकसित गुजरात' के माध्यम से ही प्रधानमंत्री का 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने का स्वप्न साकार होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में गुजरात लगातार अग्रणी रहा है और पिछले 12 वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से विकास अब केवल शहरों तक ही सीमित न रहते हुए गांवों के गरीब, वंचित और हाशिये पर खड़े लोगों के घरों तक पहुंचा है। विकास केवल ईंट-सीमेंट के ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन में सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि लाने का सशक्त माध्यम है। अलुवा और सादरा को जोड़ने वाले ब्रिज का ई-लोकार्पण हुआ है, यह लोगों के विश्वास का सेतु बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अलुवा, सादरा सहित आसपास के गांवों के हजारों परिवारों को आसान, तेज और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। किसानों को कृषि पैदावारों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए और मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तेज आवाजाही का लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, जल संचय, शिक्षा और सामाजिक सुविधाओं से संबंधित अनेक विकास कार्यों के भी लोकार्पण एवं शिलान्यास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जहां सड़कें बनती हैं, वहां रोजगार आता है, जहां स्वास्थ्य केंद्र बनता है, वहां जीवन की सुरक्षा बढ़ती है और जहां शिक्षा की सुविधा बढ़ती है, वहां भविष्य उज्ज्वल और विकासमय बनता है।

पर्यावरण के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और श्री अमित शाह की प्रेरणा से गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। हाल ही में सवा करोड़ पौधे रोपने और मियावाकी पद्धति से एक ही घंटे में लाखों पौधे लगाकर हरित विकास के प्रति प्रतिबद्धता का अनोखा उदाहरण पेश किया है।

देश में पिछले 12 वर्षों में रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। इन सड़कों ने गरीब भाई-बहनों के जीवन में विकास की नई गति ला दी है।

उन्होंने गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए श्री अमित शाह के निरंतर मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता के लिए भी उनका आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये विकास कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रगति का मजबूत आधार बनने के साथ ही हजारों परिवारों के जीवन में सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का नया अध्याय लिखेंगे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुलभाई पानसेरिया ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि 1.50 करोड़ रुपए के खर्च से नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और सिविल हॉस्पिटल में मूक-बधिर बच्चों के लिए 8 से 10 लाख रुपए के खर्च में होने वाली कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी अंतिम छोर के लोगों तक निःशुल्क पहुंच रही है। इसके अलावा, राज्य के 12,000 से अधिक अस्पतालों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर अनुपयोगी सामान हटाकर 1800 कमरे मरीजों की सुविधा के लिए पुनः कार्यरत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 'आरोग्य मंदिर, जल मंदिर और वृक्ष मंदिर' के विचार के साथ भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

किसानों और जल संचय की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए श्री पानसेरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से शुरू हुई सौराष्ट्र नर्मदा जल अवतरण सिंचाई योजना 'सौनी योजना' और दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए सौराष्ट्र-कच्छ के किसानों और पशुपालकों तक पानी पहुंचाया गया है। अतीत में 18 फीसदी के ब्याज पर ऋण लेने वाले किसानों को आज 3 लाख रुपए तक ऋण शून्य फीसदी ब्याज दर पर मिल रहा है, साथ ही 1.77 लाख रुपए के खर्च से तैयार होने वाला बिजली कनेक्शन केवल 100 रुपए और आदिवासी क्षेत्रमें 1350 रुपए में दिया जा रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों से 'वसुधैव कुटुंबकम' और राष्ट्रवाद की भावना के साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को लेकर विकास यात्रा में सहभागी होने का आह्वान किया।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री ईश्वर सिंह पटेल ने कहा कि वर्षों पहले उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र मुख्य रूप से वर्षा-आधारित खेती पर निर्भर थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता एवं दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते नर्मदा का पानी सूखी धरा तक पहुंचने से जमीन बारहों महीने हरी-भरी और खेती लायक बन गई है। अहमदाबाद और उत्तर गुजरात के लिए जीवन रेखा साबरमती नदी पर बने धरोई बांध के कारण लगभग 98,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिला है। हालांकि, धरोई से खंभात की खाड़ी तक के 190 किलोमीटर के क्षेत्र में पर्याप्त चैक डैम या लघु बांध नहीं होने के कारण मानसून में व्यर्थ बह जाने वाले पानी का संग्रहण नहीं किया जा सकता था। इस नदी को पुनर्जीवित करने और लगातार पानी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार का जलापूर्ति और सिंचाई विभाग लगातार कार्यरत है। इसके अंतर्गत आज साबरमती नदी पर 716.14 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास हुआ है, जिसमें हीराक गांव में 413.63 करोड़ रुपए के बैराज और रखियाल में 302.51 करोड़ रुपए के बैराज के कार्य शामिल हैं।

कार्यक्रम में गांधीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेशभाई पटेल, मेहसाणा जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नितिनभाई पटेल, साबरकांठा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीनाबेन पटेल, विधायक सर्वश्री जे.एस. पटेल, गजेन्द्रसिंह परमार, माणसा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योत्सनाबेन वाघेला, माणासा तहसील पंचायत अध्यक्ष श्री भरतसिंह राठोड़, गांधीनगर जिला प्रभारी श्री रमेशभाई सोलंकी, गांधीनगर जिला पार्टी अध्यक्ष श्री अनिलभाई पटेल, माणसा शहर अध्यक्ष श्री शशिकांतभाई पटेल, पूर्व विधायक श्री अमितभाई चौधरी, सड़क एवं भवन विभाग के सचिव श्री पी.आर. पटेलिया, नर्मदा, जल संसाधन और जलापूर्ति और कल्पसर विभाग के सचिव श्री पी.सी. व्यास, कलेक्टर श्री रवीन्द्र खताले और जिला विकास अधिकारी डॉ. हसरत जैस्मीन उपस्थित रहे।

सूरत में सफाईकर्मियों के मुद्दों पर राष्ट्रीय आयोग की बैठक, एफआईआर और मुआवजे का नोटिस

(निर्भीक, निष्पक्ष एवं तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा) सूरत. सूरत नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के संघों, संगठनों, आउटसोर्स एजेंसियों और ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छता कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के माननीय सदस्य करमसिंह कर्मा की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे कलेक्टर कार्यालय के हॉल में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर तेजस परमार, प्रभारी पुलिस आयुक्त वाबांग जमीर, उप निदेशक वी.एम. पटेल, समाज कल्याण विभाग, सूरत नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रदीप उमरीगर और बड़ी संख्या में संघ नेता उपस्थित थे। प्रारंभ में, कर्मा जी ने हाथ से सफाई करने वाले श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सूरत शहर में वर्तमान में नाली सफाई का काम कर रहे चार कर्मचारियों की मृत्यु का संज्ञान लिया और मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की आकस्मिक मृत्यु के मामलों में मृतक सफाई कर्मचारियों के वारिसों को 30 लाख रुपये तक के मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मृतक श्रमिकों के वारिसों को 30 लाख रुपये तक का मुआवजा देने के निर्देश दिए गए थे।

सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ की ओर से जयंतीभाई वाघेला ने सूरत नगर निगम के संघ कार्यालयों पर आधी रात को ताले तोड़कर अवैध कब्जा करने और संघ के सामान को बाहर फेंकने के मामले पर प्रस्तुति दी। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए करमाजी ने ताला तोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया। सूरत नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की दवाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए। सफाई उप-निरीक्षकों की भर्ती में हुए अन्याय के कारण इकबाल मोहम्मद शेख को अदालत जाना पड़ा और अदालत ने सूरत की उपायुक्त निधि सिवाच को तलब किया और गलत तरीके से पदोन्नत किए गए कर्मचारियों के आदेश रद्द करवा दिए, जिसके लिए उन्हें अदालत जाना पड़ा था। उपायुक्त निधि सिवाच ने संघों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हुए अवैध रूप से संघ कार्यालयों पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने इस संबंध में प्रस्तुति दी। इस पर करमाजी ने कहा कि संघ की गतिविधियां पूरे देश में चल रही हैं। दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है। सूरत भी इसका अपवाद नहीं है। जब श्रीमती निधि सिवाच को फोन करके यूनियनों के कार्यालयों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने झूठा बयान दिया कि यूनियनें सदस्यों की संख्या, पदाधिकारियों का विवरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध नहीं कराती हैं। इस संबंध में, यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक यूनियन को हर साल 29 सितंबर से पहले संगठन को यूनियन के सदस्यों की संख्या, पदाधिकारियों का विवरण और पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना होता है। और इसी के अनुरूप, सभी यूनियनें वर्षों से यह जानकारी प्रदान करती आ रही हैं। हालांकि, भेदभाव और शोषण के इरादे से, यूनियनों के कार्यालयों को आधी रात में तोड़कर उन पर कब्जा कर लिया गया है। करमाजी ने सूरत नगर आयुक्त से फोन पर बात की और उनसे यूनियन प्रतिनिधियों की बात सुनने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया। आयुक्त ने यूनियन पदाधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने को कहा है।

इस बैठक में विजय शेनमारे, शशिकांतभाई सोलंकी, हरीशभाई राठौड़, सुभाषभाई सोलंकी, किरीट वाघेला, अजयभाई सोलंकी आदि ने प्रतिनिधित्व किया। सूरत एमएनपी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव रहमराह ने अभ्यावेदन देकर कहा कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मिकी समाज के कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। इस बैठक में दिलीपभाई देसाई, जगदीश पटेल, अर्जुन विरास, मोहनभाई राठौड़, भरतभाई ठाकुर आदि उपस्थित थे।

करमाजी ने आगे कहा कि एक देश में एक ही कानून का पालन होना चाहिए, जो अहमदाबाद में लागू है, वही सूरत में भी लागू होना चाहिए। उन्होंने सभी आवेदकों की दलीलें शांतिपूर्वक सुनीं और संबंधित अधिकारी को उनका उचित निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बैठक का विवरण सभी को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

जीआईडीसी लीजहोल्ड प्लॉट ट्रांसफर पर उद्योग जगत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जीएसटी नहीं लगेगा; गुजरात हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, निवेश और औद्योगिक कारोबार को मिलेगा नया बल

सूरत। गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (GIDC) के लीजहोल्ड प्लॉट के ट्रांसफर पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू नहीं होने संबंधी गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि जीआईडीसी के लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉट के हस्तांतरण पर जीएसटी वसूलने का कोई आधार नहीं बनता। इस फैसले के साथ वर्षों से चल रहा कानूनी विवाद समाप्त हो गया है और गुजरात सहित देशभर के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत हजारों उद्यमियों, निवेशकों और औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत मिली है।

उद्योग जगत लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर असमंजस की स्थिति में था। जीआईडीसी के लीजहोल्ड प्लॉट का स्वामित्व स्थानांतरित करते समय जीएसटी लागू होगा या नहीं, इसे लेकर विभिन्न स्तरों पर मतभेद बने हुए थे। कई उद्योगपतियों को प्लॉट ट्रांसफर के दौरान अतिरिक्त कर भुगतान की आशंका रहती थी, जबकि कई मामलों में कानूनी विवाद भी सामने आए। इस अनिश्चितता का असर औद्योगिक निवेश, संपत्ति के हस्तांतरण और नए उद्योगों की स्थापना पर भी पड़ रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद इस पूरे विषय पर कानूनी स्पष्टता आ गई है।

इस मामले को लेकर उद्योग जगत की ओर से लगातार प्रयास करने वाले सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के सचिव मयूर गोलवाला ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय केवल गुजरात के

उद्योगपतियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां जीआईडीसी जैसी औद्योगिक विकास संस्थाओं के माध्यम से लीजहोल्ड प्लॉट आवंटित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से हजारों उद्यमियों को अनावश्यक कर विवादों से राहत मिलेगी और उद्योगों के संचालन में सरलता आएगी।

मयूर गोलवाला ने बताया कि इस विषय को लेकर लंबे समय से विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष अपना पक्ष रखा था। जब समाधान नहीं निकला तो मामला न्यायालय पहुंचा और कई वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया चली। उद्योग संगठनों ने लगातार यह तर्क रखा कि लीजहोल्ड प्लॉट के ट्रांसफर को जीएसटी के दायरे में लाना कानून और कर व्यवस्था की भावना के अनुरूप नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने उद्योग जगत के पक्ष में निर्णय दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद गुजरात के प्रमुख औद्योगिक शहरों जैसे सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, भरूच, अंकलेश्वर, वापी, हजीरा और साणंद सहित राज्य के अनेक जीआईडीसी क्षेत्रों में राहत का माहौल है। उद्योगपतियों का मानना है कि अब औद्योगिक प्लॉटों के हस्तांतरण में अनावश्यक कर संबंधी अड़चनें समाप्त होंगी और निवेशकों का विश्वास भी मजबूत होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक विकास के लिए भूमि और औद्योगिक संपत्तियों का आसान हस्तांतरण अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हर हस्तांतरण पर कर संबंधी विवाद उत्पन्न हों तो नए निवेशक पीछे हट सकते हैं और उद्योगों का विस्तार प्रभावित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब यह बाधा दूर हो जाएगी और औद्योगिक परिसंपत्तियों की खरीद-बिक्री तथा हस्तांतरण की प्रक्रिया अधिक सहज, पारदर्शी और तेज होगी।

उद्योग संगठनों ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई उद्योगपति जीएसटी संबंधी अनिश्चितता के कारण प्लॉट ट्रांसफर के निर्णय टाल रहे थे। कई मामलों में बैंक वित्तपोषण, निवेश समझौते और विस्तार योजनाएं भी प्रभावित हुईं। अब इस फैसले के बाद उद्योग जगत को स्पष्ट कानूनी आधार मिल गया है, जिससे भविष्य में ऐसे विवादों की संभावना काफी कम हो जाएगी। इस पूरे कानूनी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न विशेषज्ञों और संगठनों के योगदान की भी सराहना की गई। विशेष रूप से लीगल कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट तारक दमानी, इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन नयन सेठ तथा अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों के प्रयासों को उद्योग जगत ने महत्वपूर्ण बताया। इन विशेषज्ञों ने कानूनी पक्ष को मजबूत करने, उद्योगों की समस्याओं को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने और आवश्यक दस्तावेजी तैयारी में अहम भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) तथा फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहित अनेक औद्योगिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर लगातार उद्योगों की ओर से प्रतिनिधित्व किया। उद्योगपतियों का कहना है कि इन संगठनों की सक्रिय भूमिका के कारण ही यह मामला प्रभावी ढंग से न्यायालय तक पहुंच सका और उद्योग जगत को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय का प्रभाव केवल कर व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह गुजरात के औद्योगिक वातावरण को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। भूमि हस्तांतरण में कानूनी स्पष्टता आने से नए निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, औद्योगिक परियोजनाओं की गति तेज होगी और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को भी लाभ मिलेगा। विशेष रूप से वे उद्यमी जो पुराने औद्योगिक प्लॉट खरीदकर नई इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उद्योग विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जीआईडीसी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पारिवारिक उद्योग, निर्यात इकाइयां, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, डायमंड और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की कंपनियां कार्यरत हैं। इन उद्योगों में समय-समय पर स्वामित्व परिवर्तन, विस्तार, पुनर्गठन और निवेश की प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे में जीएसटी को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त होने से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।

फैसले के बाद उद्योग जगत ने इसे 'ऐतिहासिक निर्णय' बताते हुए कहा कि इससे उद्योगों को अनावश्यक कर भार और लंबी कानूनी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। साथ ही निवेशकों को यह विश्वास मिलेगा कि औद्योगिक परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से जुड़े नियम अब स्पष्ट हैं और भविष्य में कारोबार की योजना बनाना अधिक आसान होगा।

उद्योग संगठनों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गुजरात की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल औद्योगिक संपत्तियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि राज्य में निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। वर्षों से लंबित इस कानूनी विवाद के समाप्त होने के बाद अब उद्योग जगत पूरी स्पष्टता के साथ अपने व्यावसायिक निर्णय ले सकेगा और जीआईडीसी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

पीएम मोदी के 'नेट जीरो' विजन की दिशा में गुजरात की बड़ी उपलब्धि 1 साल में 49.79 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में रिकॉर्ड कमी

▸▸ FY 2025-26 में रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों से रिकॉर्ड 67,655 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन
▸▸ पिछले 5 वर्षों में कुल 179 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को वातावरण में घुलने से रोकने में मिली सफलता
▸▸ 'इंटीग्रेटेड RE पॉलिसी 2026', 'ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी' और 'पंप स्टोरेज पॉलिसी' से ग्रीन ट्रांजिशन को मिली तेज़ रफ्तार
▸▸ 2030 तक 100 GW रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का लक्ष्य, 'ग्रीन गुजरात' के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम

गांधीनगर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा 'क्लीन और ग्रीन इंडिया' के विजन को देश के विकास का महत्वपूर्ण आधार माना है। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य मिल सके। प्रधानमंत्री के इसी विजन को गति देते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

1 साल में कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी कटौती, साथ ही, रिकॉर्ड 67,655 मिलियन यूनिट 'ग्रीन बिजली' का भी उत्पादन

वित्त वर्ष 2025-26 में गुजरात ने केवल एक वर्ष के भीतर 49.79 मिलियन टन (mtCOe) कार्बन उत्सर्जन को वातावरण में जाने से रोकने में सफलता हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह राज्य के इतिहास में किसी

एक वर्ष में दर्ज की गई सबसे बड़ी कार्बन कटौती है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में सौर, पवन और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों का तेज़ी से हुआ विस्तार प्रमुख कारण रहा है। इसी के परिणामस्वरूप गुजरात ने मात्र एक वर्ष में 67,655 मिलियन यूनिट ग्रीन बिजली का रिकॉर्ड उत्पादन भी दर्ज किया है।

5 वर्षों में 179 मिलियन टन उत्सर्जन में कमी, जलवायु संरक्षण में गुजरात की बड़ी उपलब्धि

राज्य सरकार की ग्रीन एनर्जी पहलों, पर्यावरण हितैषी नीतियों और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से हुए विस्तार के परिणामस्वरूप गुजरात पिछले 5 वर्षों में कुल 179 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को वातावरण में घुलने से रोकने में सफल रहा है। आँकड़ों के अनुसार, राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 442 मिलियन टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित होती है। ऐसे में बीते पाँच वर्षों के दौरान कुल वार्षिक उत्सर्जन के लगभग 40 प्रतिशत के बराबर कार्बन उत्सर्जन में कमी दर्ज करना इस बात का प्रमाण है कि गुजरात ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच प्रभावी संतुलन स्थापित करते हुए सतत एवं हरित विकास का मजबूत मॉडल प्रस्तुत किया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, बड़े स्तर पर ग्रीन एनर्जी के उपयोग से कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधनों की खपत कम होती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में सीधे कमी आती है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी को जलवायु परिवर्तन से मुकाबले का सबसे प्रभावी माध्यम माना जा रहा है।

आम आदमी की जिंदगी से कैसे जुड़ा है 'कार्बन उत्सर्जन' का मुद्दा?

कार्बन उत्सर्जन केवल पर्यावरण का विषय नहीं है, बल्कि यह सीधे आम लोगों के स्वास्थ्य, मौसम और जीवनशैली से जुड़ा मुद्दा है। वातावरण में बढ़ता कार्बन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग, अत्यधिक गर्मी, अनियमित बारिश, बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं को बढ़ाता है। इसके विपरीत, ग्रीन एनर्जी के उपयोग से प्रदूषण कम होता है, हवा की गुणवत्ता बेहतर बनती है और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों में भी कमी आती है। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत भविष्य में न केवल पर्यावरण संरक्षण का आधार बनेंगे, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के भी महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होंगे।

संस्थागत प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण को मिली नई रफ्तार, पावर जनरेशन में बढ़ी ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी

इस शानदार उपलब्धि के ज़रिए राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि गुजरात सिर्फ निर्धारित लक्ष्य पूरे करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ नए मानक स्थापित कर रहा है। राज्य में लागू की गई 'इंटीग्रेटेड RE पॉलिसी 2026', 'ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी' और 'गुजरात पंप स्टोरेज पॉलिसी' जैसी नीतियों ने पर्यावरण संरक्षण के अभियान को एक नई रफ्तार दी है। ऊर्जा विभाग की कड़ी निगरानी में GUVNL (गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड), GEDA और GPCL जैसी संस्थाओं के निरंतर प्रयासों का ही नतीजा है कि आज राज्य के पावर जनरेशन मिक्स में ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है, जिससे हवा की गुणवत्ता में भारी और सकारात्मक सुधार आया है।

2030 तक 100 GW क्षमता का लक्ष्य, 'नेट जीरो' मिशन में गुजरात की बड़ी भूमिका

वर्ष 2070 तक भारत को 'नेट जीरो' बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने में गुजरात अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 GW रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विकसित करने का महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। गुजरात की यह उपलब्धि केवल राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और पेरिस समझौते के तहत किए गए संकल्पों को मजबूत आधार प्रदान करती है। ग्रीन एनर्जी और सतत विकास की दिशा में गुजरात आज देश के लिए एक प्रभावशाली मॉडल बनकर उभर रहा है।